प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.10.2024

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में एक लुटेरा गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार

दिनांक 04/10/2024 को थाना साहिबाबाद पुलिस अपराधिक घटनाओं के रोकथाम के दृष्टिगत बटेर पथ के पास चेकिंग कर रहे थे तभी एक बाइक सवार व्यक्ति फारख नगर की तरफ से आता दिखाई दिया जिसे रुकने का इशारा किया गया तो रुका नहीं और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करके भागने लगा पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में बदमाश के बाए दाहिने पैर में गोली लगी जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम करण पुत्र मुकेश कुमार निवासी कावरी सिटी बंथला थाना लोनी गाजियाबाद बताया जिसके विरुद्ध एनसीआर क्षेत्र में पहले से ही लूट व चोरी केआधा दर्जन मुकदमें पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटर साइकिल,01तमंचा 315 बोर मय 2
जिंदा व 1 खोखा कारतूस, लूट का 01 मोबाइल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

करण पुत्र मुकेश कुमार निवासी काव्या सिटी बंथाला थाना लोनी गाज़ियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.09.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण द्वारा वादिया के पति राशिद की हत्या कर शव खेत में फेंक देना व धमकी देना। उक्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी। तत्पश्चात दिनांक 20.09.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त गुलफाम पुत्र लतीफ निवासी लाटर देवा थाना धनरेडा जनपद हरिद्वार हाल निवासी कस्बा व थाना सिखेडा जिला मुजफ्फरनगर, उम्र 35 वर्ष व अभियुक्ता शहनाज पत्नी महताब निवासी ग्राम बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 40 वर्ष को तथा दिनांक 22.09.2024 को अभियुक्त सुहैल व जावेद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

दिनांक 04.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त महताब पुत्र जुल्फकार निवासी ग्राम बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को बदरपुर पुस्ता रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि हमारा मोबाईल फोन को लेकर मृतक राशिद व उसके लडके सौफियान से विवाद हुआ था। इसी बात से नाराज होकर राशिद का बेटा सौफियान दिनांक 13.09.2024 को अपने घर से चला गया था और वापस नही आया तो राशिद हम लोगो को धमकी दे रहा था कि अगर मेरा बेटा वापस नही आया तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। हमने राशिद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया तथा दिनांक 16/17.09.2024 की रात्रि में जब मृतक राशिद अपने हाथ मे डंडा लिये अपने बेटे की तलाश करता हुआ हमारे मकान के पीछे से निकलकर जा रहा था तो हमने मिलकर मृतक राशिद को उसका मुँह भींचकर अपने मकान के पीछे वाली जगह ले गये और राशिद से उसका डंडा छीनकर उसके मुँह व सिर पर जमकर मारा जिससे उसकी मौके पर मौत हो गयी थी फिर सुहैल ने अपनी छुरी से मृतक राशिद की पहचान छुपाने के लिये उसके चेहरे पर कई वार किये थे। मृतक राशिद के शव को हमने गाँव के बाहर हारुन के धान के खेत में डाल दिया था तथा मृतक का मोबाइल भी वहाँ गढ्ढे में दबा दिया था व लकडी का डण्डा भी वहीं छुपा दिया था तथा छुरी को सुहैल द्वारा मीरपुर जाने वाले रास्ते पीपल के पेड के नीचे धान के खेत मे गढ्ढे में दबा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

महताब पुत्र जुल्फकार निवासी ग्राम बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 55 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 23.07.2024 को थाना लिंकरोड पर वादी संजय कुमार पुत्र राम खिलाड़ी निवासी तिगरी गोल चक्कर बिसरख,मध्य कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर द्वारा लिखित तहरीर दी कि वादी की मोटर साइकिल कम्पनी 54/11 MCAM सरलोन इंडिया लिमिटेड साइट-04 के गेट से अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है।

तत्पश्चात थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज, चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 05.10.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त सरताज पुत्र छोटे अंसारी निवासी हाल पता बडी मस्जिद के पास ग्राम महाराजपुर थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद स्थायी पता वार्ड नं0 7 साविरी मस्जिद के पास किच्छा थाना किच्छा जनपद उधमसिह नगर (उत्तराखण्ड) उम्र-21 वर्ष को महाराजपुर टी पाईंट के सामने

चौकी हल्का महाराजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे से प्राप्त मोटर साइकिल चोरी की है। जिसको मेरे द्वारा कंपनी 54/11 MCAM सरलोन इंडिया लिमिटेड साइट-4 के गेट से लगभग 03 महिने पहले चोरी किया था। जिससे बेचने की फिराक में आनन्द विहार दिल्ली की तरफ जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः

सरताज पुत्र छोटे अंसारी निवासी हाल पता बडी मस्जिद के पास ग्राम महाराजपुर थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद स्थायी पता वार्ड नं0 7 साविरी मस्जिद के पास किच्छा थाना किच्छा जनपद उधमसिह नगर (उत्तराखण्ड) उम्र-21 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः

- कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः

- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः

- थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई गाय व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 30.09.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा लिखित सूचना दी कि मोटरसाइकिल सवार व उसके साथी नाम पता अज्ञात द्वारा वादी की गाय को चोरी कर ले जाना। इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 04.10.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आये अभियुक्त योगेश पुत्र भजनलाल निवासी टूंडाखेडा थाना छतारी बुलंदशहर हाल पता गली नं0-3 निकट रामू का चौराहा ग्राम बम्हैटा थाना वेवसिटी गाजियाबाद को रामू का चौराहा गाँव बम्हैटा थाना वेव सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई गाय व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी बहन के घर कोई गाय/भैंस नही थी जिस वजह से दूध की समस्या हो रही थी इसलिए मैंने अपने भांजे उम्र करीब 16 वर्ष के साथ मिलकर इस गाय को मौका पाकर चोरी कर लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम /पता

योगेश पुत्र भजनलाल निवासी टूंडाखेडा थाना छतारी बुलंदशहर हाल पता- गली नं0-3 निकट रामू का चौराहा ग्राम बम्हैटा थाना वेवसिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की गई गाय व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा छेड़छाड़ के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.10.2024 को थाना मोदीनगर पर आवेदिका द्वारा एक तहरीर दी गयी कि अभियुक्त हर्षित चौधरी उर्फ ज्वाला निवासी अमराला थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा वादिया के साथ स्कूल से लौटते समय रास्ते में छेडछाड करना तथा मोबाइल नम्बर मांगने का प्रयास करना तथा हर्षित चौधरी उर्फ ज्वाला द्वारा अपने अन्य साथी आर्यन निवासी अमराला व अन्य अज्ञात साथी के साथ मिलकर आवेदिका के पिता के साथ मारपीट करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 04.10.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त हर्षित उर्फ ज्वाला पुत्र ज्ञानेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अमराला थाना भोजपुर गाजियाबाद को राज चौपला मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ करने पर अभियुक्त हर्षित उर्फ ज्वाला ने बताया कि उक्त लडकी व मैं एक ही कॉलेज में पढते हैं जिसे मैं पसन्द करता था तथा मैं उसका मोबाइल नम्बर प्राप्त करने की काफी दिनों से कोशिश कर रहा था परन्तु उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण मैंने यह घटना कारित कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता –

हर्षित उर्फ ज्वाला पुत्र ज्ञानेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अमराला थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।

अपराधिक इतिहास /पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा गाली गलौच एवं मारपीट करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण- दिनांक 04.10.2024 को वादी श्री हर्ष शर्मा S/O शुशील शर्मा निवासी J-432 थाना मधुबन बापूधाम कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा एक तहरीर कि मै अपने घर के पास पार्क के पास खड़ा था। उसी समय राहुल शेट्टी जिसने अपने चार साथियो के साथ जबरन मुझे पकडकर बहुत मारा है। मेरी माँ के बचाने पर उनके साथ गाली गलोच व अभद्र व्यवहार किया, के सम्बन्ध में तहरीर प्राप्त हुई। जिस पर थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा पीडित का मेडिकल परीक्षण कराया गया एवं तहरीर के आधार पर उचित धाराओ में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-दिनांक 05.10.2024 को पुलिस टीम मधुबन बापूधाम द्वारा वादी श्री हर्ष शर्मा उपरोक्त के साथ एक राय होकर गाली गलौच एवं मारपीट की घटना करने वाले दो अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण –

1. विशाल त्यागी पुत्र सुनील त्यागी निवासी- म.नं. 27, फ्री होल्ड, एच. बी. फार्म हाउस के सामने, गुलधर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद - उम्र 22 वर्ष,
2. अक्षय सहलोत पुत्र स्व० श्री रूपेश सहलोत निवासी- म.नं.377, शान्ति विहार, गुलधर - 2. गीतांजली पब्लिक स्कूल के सामने थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र-23 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चोरी, लूट व छिनैती का सामान खरीदकर बेचने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी, लूट, व छिनैती के 32 मोबाइल फोन (भिन्न-भिन्न कम्पनी), 01 लैपटाप व 01 मोटर साइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 05.10.2024 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी, लूट, छिनैती का सामान बेचने वाला 01 शातिर अभियुक्त साजिद उर्फ सज्जू पुत्र मेहरबान निवासी फ्लैट नं0 1823 तुलसी निकेतन थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को कोयल एनक्लेव बिजली घर के आगे मैट्रो प्रोजेक्ट वाली बिल्डिंग के बने पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी, लूट व छिनैती के 32 मोबाइल फोन (भिन्न-भिन्न कम्पनी), 01 लैपटाप व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः गिरफ्तार अभियुक्त साजिद उर्फ सज्जू ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे से प्राप्त 32 मोबाइल फोन, 01 लैपटाप व 01 मोटर साइकिल लूट, चोरी व छिनैती की है। जिसको मैने करन व उसके साथियों से सस्ते दामों में खरीद लेता हूँ। और खरीदे सामान को एनसीआर क्षेत्र में पड़ने वाले साप्ताहिक बाजार व पार्क के आस पास भोले भाले व्यक्तियों को अपनी मजबूरी बता कर बेच देता हूँ और अधिक लाभ अर्जित करता हूँ। मेरे से प्राप्त सामान को बेचने के लिये दिल्ली जा रहा था तभी रास्ते में कोयल एनक्लेव बिजली घर के आगे मैट्रो प्रोजेक्ट वाली बिल्डिंग के बने पार्क के पास से पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः

साजिद उर्फ सज्जू पुत्र श्री मेहरबान निवासी फ्लैट न0 1823 तुलसी निकेतन थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरणः</u>

- कब्जे से चोरी, लूट, व छिनैती के 32 मोबाइल फोन (भिन्न-भिन्न कम्पनी), 01 लैपटाप व 01 मोटर साइकिल बरामद।

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः</u>

- अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग व थाना ई पुलिस स्टेशन मानसरोवर पार्क दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः</u>

- थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा एक जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05-10-24 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान वीकेण्ड चौराहा के पास से 01 शातिर अभियुक्त (थाना मुरादनगर से जिलाबदर) को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>पूछताछ का विवरण</u>—

पूछताछ में अभियुक्त उदित त्यागी ने बताया कि मुझे थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा जिले के बाहर छोड़ा गया था, परन्तु कल मैं वापस नन्दग्राम क्षेत्र में आया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

उदित त्यागी पुत्र श्री सचिन त्यागी निवासी मौहल्ला महाजनान मुरादनगर हाल पता हनुमान मन्दिर के पीछे ग्राम असालतनगर कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।